

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट


श्री वागाराम पुत्र श्री कसनाजी
निवासी भटाना
तहसील रेवदर
जिला सिरौही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार रेवदर

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 47 वर्ष 2024

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ताशेख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
25.09.2024	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 15.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम भटाना के खसरा संख्या 850 रकबा 5.00 बीघा की गई तरमीम की सम्पूर्ण जानकारी व तरमीम करने वाले कर्मचारी का विवरण एवं उक्त खसरे के पास में राजकीय सडक स्थित है, उसकी तरमीम वर्ष व तरमीम करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का विवरण एवं अपीलांत द्वारा दिनांक 03.04.2024 को तरमीम गलत होने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया, उस प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं मौके पर सडक व रेकर्ड में सडक की तरमीम में अन्तर सम्बन्धी सूचना की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए हैं। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 15.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम भटाना के खसरा संख्या 850 रकबा 5.00 बीघा की गई तरमीम की सम्पूर्ण जानकारी व तरमीम करने वाले कर्मचारी का विवरण एवं उक्त खसरे के पास में राजकीय सडक स्थित है, उसकी तरमीम वर्ष व तरमीम करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का विवरण एवं अपीलांत द्वारा दिनांक 03.04.2024 को तरमीम गलत होने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया, उस प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं मौके पर सडक व रेकर्ड में सडक की तरमीम में अन्तर सम्बन्धी सूचना की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/भूअ./आर.टी.आई./2024/2975 दिनांक 02.08.2024 के द्वारा अपीलांत को सूचित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	


(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरौही